राजस्व आवेदन संख्या 118/2023
जेठाराम बनाम फकीराराम वगैरा

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 14/2015
जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2015/00899

वादी बनाम प्रतिवादी

जेठाराम पुत्र खेराजराम
जाति जाट निवासी गंगावास
तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा

1.फकीराराम पुत्र वीरमाराम
2.मलाराम पुत्र वीरमाराम
जाति ढाडी निवासी गंगावास
तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा
3.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1.श्री करणसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादी
2.प्रतिवादी एकतरफा

निर्णय

दिनांक— 31.10.2025

संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा लक्ष्मीनगर तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 193 क्षेत्रफल 5.3879 हैक्टयर भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वाद दिनांक 23.6.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार कल्याणपुर को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। वादी अधिवक्ता द्वारा माफिक विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अंतिम डिक्री जारी करवाने पर सहमत है,ऐसी सूरत मे माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा क्ष्मीनगर तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 193 क्षेत्रफल 5.3879 हैक्टयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन संख्या 118/2023
जेठाराम बनाम फकीराराम वगैरा

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म	लगान	बरंग
1	जेठाराम पुत्र खेराजराम जाति जाट सा.देह खातेदार	लक्ष्मीनगर	193	1.2944	बा.दोयम	1.44	नक्शे मे दर्शितानुसार
2	1.फकीराराम पुत्र वीरमाराम हि .2193/9996 जाति ढाडी सा.देह 2.मलाराम पुत्र वीरमाराम हि. 153/196 जाति ढाडी सा. देह खातेदार रहन—ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.गंगावास	लक्ष्मीनगर	193	4.0935	बा.दोयम	4.54	सफेद

तहसीलदार, कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना —अपना वहन करें ।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

31/10/2025
(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को लिखा जाकर सर—ए—इजलास सुनाया गया।

31/10/2025
सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ.)बालोतरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 118/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2023/331

वादी बनाम **प्रतिवादी**

वादी	प्रतिवादी
जेठाराम पुत्र खेराजराम जाति जाट निवासी गंगावास तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा	1.फकीरराम पुत्र वीरमाराम 2.मलाराम पुत्र वीरमाराम जाति ढाडी निवासी गंगावास तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा 3.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धाराः—53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :118/2023

निर्णय दिनांक :— 31.10.2025

वादी की ओर से श्री करणसिंह सोलंकी अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 31.10.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है किः—वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 31.10.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार कल्याणपुर को आदेश दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 31.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

31/10/2025

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

राजस्व आवेदन संख्या 118/2023
जेठाराम बनाम फकीराराम वगैरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4...........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	———	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	———
जोड़	———	जोड़	———

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा
31/10/2023